राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1779/2016/श्रीगंगानगर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स ईशान कन्स्ट्रक्शन्स कम्पनी, श्रीगंगानगर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी विभाग की ओर से
श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 09/02/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 60/आरवैट/श्रीगंगानगर/2015–16 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 03.03.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होनें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 10.04.2015 को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी ठेकेदार को GE/Lalgarh to Special Repair to Roads of Married Accomodation at Mi. Station Lalgarh Jattan का रूपये 3468692/– का वर्क आर्डर कर मुक्ति शुल्क 1 प्रतिशत की दर से जारी किया गया। परन्तु उक्त कार्य संविदा की प्रकृति को देखते हुए इस पर 3 प्रतिशत ईसी शुल्क होना चाहिये था इस आधार पर पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया जाकर ईसी फीस 2 प्रतिशत से 66291/– रूपये निर्धारित की गई तथा ब्याज रूपये 18809/– कुल मांग राशि 85100/– प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम करते हुये आदेश पारित किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील को स्वीकार करते हुये आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई हैं।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। उन्होंने तर्क दिया कि ईसी शुल्क राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 में अंकित अनुसूची के क्रम संख्या के सम्मुख उल्लेखित प्रविष्टि के अनुसार तय होती है तदनुरूप क्रम संख्या 2 के सम्मुख उल्लेखित प्रविष्टि Work Contract Relating to Building, Roads, Bridges, Dams, Canals, Severage

लगातार.....2

System अंकित है जिस पर 1.5 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क देय होता है परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी का कार्यादेश उक्त प्रविष्टियों से आच्छादित नहीं है अतः इस भूल को कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करने के पश्चात अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधन आदेश पारित कर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क चुकाने का दायित्व माना है जो कि अधिसूचना की प्रविष्टि संख्या 4 से आच्छादित है। अतः अपीलार्थी विभाग की अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

5. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में ईसी फीस की जो बढोतरी की गयी है वह विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उन्होनें आगे कथन किया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा "बिल्डिंग" शब्द का सही अर्थ नहीं लिया है। अपीलार्थी ने अपना पक्ष रखते हुए आगे कथन किया है कि विचाराधीन अपील प्रकरण में सिविल निर्माण की प्रकृति का कार्य किया गया है जिसमें बिल्डिंग मैटेरियल जैसे स्टील, सीमेंट, ग्रीट इत्यादि सामग्री का उपयोग किया गया है इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के अनुसार विचाराधीन अपील प्रकरण में अर्थवर्क (Earth Work) भी किया गया है। अपीलार्थी के कथनानुसार उसका प्रकरण राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसचना क्रमांक एफ. 12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.08.2006 की अनुसूची के क्र0सं0 2 के सम्मुख उल्लेखित प्रविष्टी "Works Contract relating to Building, Roads, Bridges, Dams, Canals, Sewerage system" से आच्छादित होता है इसलिये उस पर 1.5 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क देय बनता है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने इस कार्य संविदा के संबंध में अपीलार्थी पर 3 प्रतिशत की दर से मुक्तिशुल्क चुकाने का दायित्व होना माना है। अपीलार्थी के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा निष्पादित कार्यसंविदा को उक्त अधिसूचना की प्रविष्टि संख्या 3 से आच्छादित होना मानकर जो 3 प्रतिशत की दर से मुक्तिशुल्क निर्धारित किया है वह अविधिक है। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अभिभाषक ने निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

1. मैसर्स इलेक्ट्रोमेकेनिकल इंजीनियरिंग कारपोरेशन अलवर बनाम अतिरिक्त आयुक्त (वेट) 2006 वेट रिपोर्टर 257 (आरटीबी)
2. मैसर्स शंकर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स कोटा अपील संख्या 574/2012 निर्णय दिनांक 09.09.2016
3. एसीटीओ बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सीज 29 टैक्स अपडेट पेज 253 के दृष्टान्त प्रस्तुत किये एवं स्पष्ट किया कि संचेतन मस्तिष्क से किये हुए आदेश का पुनरीक्षण करने का अधिकार कर निर्धारण अधिकारी को नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा उसे अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतः उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं रिकार्ड तथा प्रस्तुत उद्धरणों का अवलोकन किया गया।

7. सर्वप्रथम इस संबंध में ई.सी. से संबंधित जारी अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 में वर्क कान्ट्रेक्ट की प्रकृति के अनुसाद देय ई.सी. फीस संबंधित सारणी का अवलोकन किया जाना उचित होगा, जो निम्न प्रकार है :–

लगातार.....3

Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee% of the total value of the contract
1.	2.	3.
1.	Works contracts where the cost of material does not exceed five percent of the total contract amount.	0.25%
2.	Works contracts relating to EPC Turnkey power projects awarded by Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited. Works contract relating to construction of roads, runway, bridges, dams tunals, channels, barrages, diverstion, railway tracks, causewasys, sub-ways, spillways, boundary walls and water harvesting structrures.	1%
3.	Any other kind of works contract not covered by [item Nos. 1 and 2]	3.00%

अधिसूचना की प्रविष्टि संख्या 2 का अवलोकन करने के बाद कार्य की प्रकृति को देखते हुए यह तर्क उचित प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी को पूर्व में राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुरूप जो ई.सी. प्रमाण पत्र 1 प्रतिशत की दर से जारी किया गया, वह विधिक है।

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचन दिनांक 26.03.2012 के अवलोकन से विदित होता है, कि इसमें अंकित सूची के क्रम संख्या 2 में निम्नप्रकार अंकित किया गया है–

क्रम संख्या– 2 –

> "works contracts relating to EPC Turnkey power projects awarded by Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited. Works contract relating to construction of roads, runway, bridges, dams tunals, channels, barrages, diverstion, railway tracks, causewasys, sub-ways, spillways, boundary walls and water harvesting structrures. 1 प्रतिशत

यहां भवनों से संबंधित (Relating to building) शब्दावली अति महत्वपूर्ण है जिसकी व्याख्या माननीय न्यायालयों द्वारा प्रौद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में की गई है तथा भवनों व सडकों से संबंधित शब्दावली की परिधि विस्तृत होना अवधारित किया गया है। कार्य संविदा से संबंधित **"जी–शिड्यूल"** के अध्ययन से विदित होता है कि कार्य संविदा निष्पादक द्वारा आलौच्य कार्यादेशों से प्राप्त उक्त समस्त कार्य सड़क (Special Repair to Road) से ही संबंधित है। जैसाकि माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.2012 अपील संख्या 766, 683 व 684/2010/जयपुर के प्रकरणों से विधि प्रतिपादित की गयी है तथा माननीय खण्डपीठ के उक्त निर्णयों से प्रतिपादित सिद्धान्तों से प्रत्यर्थी व्यवहारी का प्रकरण आच्छादित होता है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 03.03.2016 को यथावत रखते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य